राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27(30) ग्रावि / ग्रुप–5 / जीकेएन / बीएसआर / प्रगति / 2015–16 जयपुर, दि. 13 मार्च, 2019

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला परिषद समस्त राजस्थान (बाँरा, चुरू एवं कोटा को छोड़कर)

विषय :– वर्ष 2019–20 के लिए पंचायत समिति दर अनुसूची (बीएसआर) लागू करने के संबंध में।
प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दि. 04.01.2019 एवं 22.02.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के बिन्दु संख्या 8 के परिपेक्ष्य में वर्ष 2019–20 के लिए श्रम, सामग्री एवं उपकरणों की बेसिक दरों का निर्धारण करने एवं दर अनुसूची (बीएसआर) तैयार करने व प्रासंगिक पत्रों द्वारा दिनांक 28.02.2019 तक जिला दर निर्धारण समिति की बैठक पंचायत समितिवार बीएसआर आयोजित कर दिनांक 01.04.2019 से लागू / प्रभावी करने हेतु निर्देशित किया गया था, परन्तु अभी तक 295 पंचायत समितियों में से मात्र 30 पंचायत समितियों की बीएसआर प्रभावी एवं 213 पंचायत समिति की बीएसआर बेसिक दरें प्रस्तावित की है, जिनका जिला स्तर से अनुमोदन / प्रभावी कराया जाना अभी भी शेष है।

विभागीय बीएसआर सॉफ्टवेयर से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 12.03.2019 की समीक्षा में जिलों की स्थिति निम्नानुसार रही है:–

विवरण	जिला
आंशिक पंचायत समितियों की बीएसआर प्रभावी(1 जिला)	भीलवाडा जिले की 1 पं.स. की शेष
सभी पंचायत समितियों की बीएसआर दर प्रस्तावित, परन्तु जिला स्तर से अनुमोदन शेष (16 जिलें)	बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, दौसा, धौलपुर, डुंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, झुन्झुनु, पाली, सवाई माधोपुर, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर
आंशिक पंचायत समितियों की बीएसआर प्रस्तावित (10 जिले)	अजमेर (7 / 9), अलवर (8 / 14), बून्दी (4 / 5), चित्तौड़गढ़ (7 / 11), श्री गंगानगर (2 / 9), जोधपुर (15 / 16), करौली (3 / 6), नागौर (12 / 14), प्रतापगढ़ (1 / 5), राजसमन्द (6 / 7)
अभी तक कार्यवाही प्रारम्भ ही नही की (3 जिले)	भरतपुर, जैसलमेर एवं जालौर।

उपरोक्तानुसार स्थिति से स्पष्ट है कि अधिकान्श जिलों द्वारा विभागीय निर्देशों को गंभीरता से नही लिया जा रहा है जो खेदजनक है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि सभी पंचायत समितियों की बीएसआर सॉफ्टवेयर पर प्रस्तावित कराकर एवं जिला दर निर्णायक समिति से अनुमोदन उपरान्त पंचायत समितिवार दर अनुसूची (बीएसआर) अविलंब प्रभावी कराया जाना सुनिश्चित करावे।

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रा.वि.।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त (बाँरा, चुरू एवं कोटा को छोड़कर)।
4. अधि. अभि. (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जि. प. समस्त (बाँरा, चुरू एवं कोटा को छोड़कर)।
5. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

C:\Users\user\Desktop\BSR Letter 2018.docx / 130